भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1447
दिनांक 13.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

बिहार में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना

1447. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएम-जी) योजना के अंतर्गत बिहार को जारी की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त योजना का कुल बार्षिक बजट कितना है;
(ग) क्या इस योजना के लिए राज्यों को निधियां जारी करने में विलंब हुआ है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के तहत बिहार राज्य को जारी केंद्रीय हिस्से की निधि निम्नानुसार है:

करोड़ रुपये में

वित्त वर्ष	**जारी की गई धनराशि**
2019-20	1867.38
2020-21	88.56
2021-22	128.01
2022-23	711.49
2023-24	700.00
2024-25 (10.02.2025 तक)	166.50
कुल	**3661.94**

(ख) एसबीएम (ग्रामीण) चरण-II के लिए वार्षिक बजट आवंटन (केंद्र का हिस्सा) निम्नानुसार है:

करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	**बजट आवंटन**
2020-21	6000.00
2021-22	6000.00
2022-23	5000.00
2023-24	7000.00
2024-25	7192.00
कुल	**31192.00**

(ग) और (घ) एसबीएम (जी) के दिशानिर्देशों और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के व्यय विभाग (डीओई) द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार एसबीएम (जी) के तहत व्यय तथा अप्रयुक्त शेष राशि के अनुसार और राज्य के अनुपातिक हिस्से सहित कोषागार से समय पर निधियां जारी करने तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र और लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करने जैसी कुछ शर्तों को पूरा करने पर राज्यों को उनकी पात्रता के आधार निधियां जारी की जाती हैं। तदनुसार, राज्यों से अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त होने और उनकी पात्रता के आधार पर बिना किसी विलंब के एसबीएम (जी) के तहत राज्यों को निधियां जारी की जाती हैं। इसके अलावा, 2023-24 से, डीओई, एमओएफ ने पायलट आधार पर एक नया मॉड्यूल एसएनए-स्पर्श शुरू किया है, जिसे एसबीएम (जी) सहित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत समय पर निधि जारी करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 26 राज्यों के लिए लागू किया गया है। अब तक, एसबीएम (जी) के तहत इस नई प्रणाली में 13 राज्यों को शामिल किया गया है, जिनके लिए राज्य कोषागार से भुगतान फाइलें प्राप्त होने पर दैनिक आधार पर धन जारी किया जाता है।

*****